# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरावलोकन PBR/पुनर्विलोकन/देवास/भू.रा/2018/2454

श्रीमती कमला बाई पति लीलाधर वाधवानी
मलिक/पार्टनर मैसर्स वस्तीराम एण्ड कम्पनी

निवासी–4 एम.जी.रोड़, देवास म.प्र.

विरूद्व

1. अमोलदास पिता महाराज मेहरादास

निवासी अलखधाम फ्रीगंज उज्जैन

2. चन्द्रप्रकाश पिता महेश

3. निर्मला पति महेश

4. अनिता पिता महेश

समस्त निवासीगण सांईनाथ कॉलोनी, इन्दौर

5. अनिल पिता रेवाचन्द

6. सुनील पिता रेवाचन्द

7. कमलाबाई पति अशोक

8. गौरव पिता अशोक

9. योगिता पिता महेश

समस्त निवासीगण 146–संतराम कॉलोनी,

उज्जैन

10. राजकुमार पिता परमानन्द

11. अनिल कुमार पिता परमानन्द

12. शकुन्तला पिता परमानन्द

13. जयवंती पिता परमानन्द

14. राजकुमारी पिता परमानन्द

15. रजनी पिता परमानन्द

16. अनीता पित परमानन्द

सगस्त निवासीगण 120 संतराम कॉलोनी

उज्जैन म.प्र.

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/पुनर्वालोकन/देवास/भूरा/2018/2444

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 14—8—2018 | आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया । यह पुनर्वालोकन इस न्यायालय के निगरानी प्र0क्र0 पीबीआर/निगरानी/देवास/भूरा/2017/4416 में पारित आदेश दिनांक 13-3-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनर्वालोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :-<br>1-किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2-मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3-कोई अन्य पर्याप्त कारण<br>इस प्रकरण में आवेदक द्वारा फर्म के विधिक व्यक्ति होने का तर्क दिया गया, लेकिन भागीदारी फर्म में संपत्ति का स्वामित्व फर्म के पास न होकर भागीदारों के पास होता है तथा नये भागीदारों को संपत्ति का अंतरण वैध पंजीकृत अंतरण पत्र से ही हो सकता है/इसके अलावा आवेदक की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी हो और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है । अत: यह पुनर्वालोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।<br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |